1h

दूरभाष : 0771–2285352, 2285353 (फैक्स)
E-mail : dco-chh.rgi@censusindia.gov.in

भारत की जनगणना
CENSUS OF INDIA
2011

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़
DIRECTORATE OF CENSUS OPERATIONS CHHATTISGARH

गोविन्द सारंग परिसर, तृतीय तल, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर– 492006
GOVIND SARANG PARISAR, THIRD FLOOR, NEW RAJENDRA NAGAR, RAIPUR- 492006

क्रमांक डी–15035/1/2010–डीसीओ(छ.ग.)/2233 दिनांक 24/01/11

पुर्ननिविदा आमंत्रण

भारत के राष्ट्रपति की ओर से जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़, गोविन्द सारंग परिसर, तृतीय तल, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर स्थित कार्यालय को जनगणना 2011 के द्वितीय चरण के अनुसूचियों से भरे कोरूगेटेड बॉक्स को अभिलेख कक्ष में व्यवस्थित रूप से रखने हेतु **लगभग 250 स्टील रैक्स** क्रय करने के लिये पूर्व में उक्त हेतु जारीं समसंख्यक पत्र क्र. 1892 दिनांक 14/2/2011 को निरस्त कर पुनः सीलबंद निविदाएं आमंत्रित है जिसका विवरण निम्नानुसार है–

Material :	**Metal shelving Racks(Adjustable Type) made up of Mild Steel Sheets(C.R. Sheet) Grade "O"**
Dimension :	**98" (2489mm) height X 42"(1057mm) width (inner side) x 18"(457 mm)depth;**
Thickness :	**Angle (35 mm x 35mm) of 2mm(14 gauze) & shelf of 1 mm (20Gauze)**
Compartment :	**Six compartments(7 shelves) with clear space height of 15" (381mm) in each compartment**

स्टील रैक्स की अधिकतम कीमत प्रति नग 3900/– (समस्त कर एवं अन्य व्यय सहित)

1. **सामग्री प्रदाय**

क्रयादेश जारी करने के 20 दिवस के अंदर जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़, गोविन्द सारंग परिसर, तृतीय तल, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर में प्रदाय किया जाना होगा जिसका परिवहन व्यय संबंधित फर्म द्वारा देय होगा । **निविदा के साथ रू.35000/–सुरक्षा राशि** (Earnest Money) संबंधी ड्राफ्ट भी संलग्न किया जाना होगा जो कि **अकाउण्ट पेयी डिमान्ड ड्राफ्ट हो तथा किसी राष्ट्रीयकृत /अनुसूचित बैंक द्वारा जारी निदेशक, डी.सी.ओ. छत्तीसगढ, रायपुर'** (Director, D.C.O. Chhattisgarh, Raipur) **के नाम से तथा रायपुर में देय हो**

2 <u>निविदाकर्त्ता हेतु योग्यताएं एवं आवश्यक दस्तावेज</u>

अ. वित्त वर्ष 2009–10 की अंकेक्षित बैलेंस शीट (Audited Balance Sheets) एवं इसी वित्तीय वर्ष की आयकर रिटर्न की प्रति निविदा के साथ संलग्न किया जाना होगा ।

ब. बिडर (bidder) को व्यापार करने के लिये गवर्नमेंट/म्यूनिसीपल अथारिटी से रजिस्टर्ड होना चाहिए ।

स सेल्स टेक्स/वेट क्लीयरेन्स सर्टिफिकेट निविदा के साथ जमा किया जाना होगा ।

द निविदा के साथ सुरक्षा राशि जमा (Earnest Money Deposit) संबंधी डिमान्ड ड्राफ्ट संलग्न किया जाना होगा ।

नोट :–बिडर (bidder)केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के किसी कार्यालय द्वारा ब्लेक लिस्टेड नहीं होना चाहिए ।

3 निविदा जमा/खोलने की तिथि

निविदा जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़ में दिनांक 03/02/2011 को सुबह 11.00 बजे या इसके पूर्व जमा किया जा सकता है । इस तिथि या समय के बाद प्राप्त निविदा को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जावेगा । दिनांक 03/02/2011 को 11.30 बजे कार्यालय के कय समिति के समक्ष निविदा खोला जावेगा । निविदा के साथ बिन्दु 2 में उल्लेखित उप बिन्दु 'अ' से 'स' के समर्थन में स्व–सत्यापित दस्तावेज लगाना होगा । इसके अभाव में संबंधित निविदाकर्त्ता का निविदा निरस्त कर दिया जावेगा । निविदा खोले जाने के दौरान निविदाकर्त्ता फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं ।

4 सुरक्षा राशि की वापसी

असफल निविदाकर्त्ताओं की सुरक्षा राशि जमा (Earnest Money Deposit) कयादेश अवार्ड करने के 30 दिनों के अंदर वापस कर दी जावेगी । उक्त राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा ।

5 **अवार्ड करने की प्रकिया एवं प्रदाय की अवधि**

कय समिति द्वारा अनुशंसित L1 फर्म को पहले स्टील रैक्स का एक नमूना निदेशालय में प्रदाय किया जाना होगा । कय समिति द्वारा नमूने की स्पेशिफिकेशन के अनुसार संतुष्टि उपरांत अनुशंसित करने पर कयादेश जारी किया जावेगा । कय समिति द्वारा नमूने को अस्वीकार किये जाने की स्थिति में L2 , इसके बाद कमशः L3 आदि के द्वारा प्रदत्त दर एवं नमूने पर विचार किया जा सकता है । अंतिम रूप से अवार्ड किये गये फर्म को एक माह के अंदर जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़, रायपुर में रैक्स प्रदाय किया जाना होगा ।

6 **भुगतान :–**

रैक्स आपूर्ति उपरांत संख्या, गुणवत्ता, आदि से पूर्ण संतुष्टि उपरांत रैक्स प्रदाता फर्म द्वारा तीन प्रतियों में प्रस्तुत देयक के आधार पर जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़ द्वारा भुगतान किया जायेगा ।

7 निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद/परिवाद भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त आर्बिट्रेटर की मध्यस्थता में निपटाए जाएंगे । आर्बिट्रेटर द्वारा दिया गया निर्णय दोनों पक्षों को मान्य/बाध्यकारी होगा।

8 निविदाओं को मान्य/अमान्य करने अथवा निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़, रायपुर के पास सुरक्षित रहेगा ।

(जोस टी.वर्गिस)
उप निदेशक